खण्ड : 1 संख्या : 6,7

दशम् बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(प्रथम सत्र)

(भाग-2 कार्यवाही प्रश्नोत्तर रहित)

सत्यमेव जयते

शुक्रवार, दिनांक : **23 मार्च 1990 ई०**

सोमवार, दिनांक : **26 मार्च 1990 ई०**

वित्तीय कार्य : 1990-91 वर्ष के लेखानुदान व्यय विवरण संबंधी प्रस्ताव का उपस्थापन :

श्री लालू प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि ''इस प्रस्ताव की अनुलग्नित अनुसूची (बिहार सरकार के लिए लेखानुदान 1990-91 अनुसूची के पाँचवे स्तम्भ में दिखायी गयी अधिक से अधिक 16,44,52,82,200 (सोलह अरब चौवालिस करोड़ बावन लाख बयासी हजार दो सौ) रुपये की रकम का लेखानुदान उक्त अनुसूची के दूसरे स्तम्भ में प्रविष्ट अनुसारी मांग शीर्षकों के संबंध में 31 मार्च 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर खर्च करने के स्वीकृत किया जाय ।''

अध्यक्ष : श्री रामजतन सिन्हा एमेंडमेंट दिये हैं ।

श्री रघुनाथ झा : अध्यक्ष महोदय, आज तक यह परिपाटी नहीं रही है 20 वर्षों से हमलोग चाहे सत्ता पक्ष के हों, चाहे विपक्ष में बैठे माननीय सदस्यगण देख रहे हैं ।

श्री रामजतन सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव नियमानुकूल है तो संसदीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करें कि नियम संगत है या नहीं, कानून है या नहीं और जब नियम संगत हैं कानूनन है तो आप हमारे इस अधिकार से मुझे क्यों वंचित करना चाहते हैं ?

श्री लालू प्रसाद : यह रेगुलर बजट नहीं है बल्कि लेखानुदान मात्र 4 महीने के लिये है और जब हम रेगुलर

बजट सदन के सामने लायेंगे तब कटौती का प्रस्ताव आप लायेंगें । लेकिन यह लेखानुदान मात्र चार महीने के लिये है इसलिये इसमें कोई ऐसा प्रवाधान नहीं होना चाहिए ।

श्री रामजतन सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, यह आज सबेरे सरकुलेट हुआ तो इसके लिए समय सरकार ने हमलोगों को दिया नहीं इसलिये हमलोगों को बहुत कम समय मिला और जो भी समय मिला उसका सदुपयोग हमने किया है इसलिये मुझे प्रस्ताव करने दिया जाय ।

श्री राजो सिंह : माननीय सदस्य श्री रामजतन बाबू हमारे दल के हैं और इसके लिए नियम बना हुआ है और लेखानुदान में कट मोशन नहीं होता है और न और कुछ होता है ।

श्री रामजतन सिन्हा : यह हमारा बिल्कुल कानूनन है, नियम संगत है और यदि नियम संगत नहीं है तो नियम बता दीजिये ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि-

''प्रस्ताव की अनुलग्नित अनुसूची (बिहार सरकार के काम के लिये लेखानुदान 1990-91 की अनुसूची) के पांचवे स्तम्भ में दिखायी गयी अधिक से अधिक 16,44,52,82,200 (सोलह अरब चौवलिस करोड़ बावन लाख बयासी हजार दो सौ) रुपये की रकम का लेखानुदान उक्त अनुसूची के दूसरे स्तम्भ में प्रविष्ट अनुमारी मांग शीर्षकों के संबंध में 31 मार्च,

1991 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर खर्च करने के लिये स्वीकृत किया जाय ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । लेखानुदान स्वीकृत हुई ।

(सदन में थप-थपी)

श्री कुमुद रंजन झा : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्यायंट आफ आर्डर है । अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वांयट आफ आर्डर है ।

(शोर-गुल)

श्री रघुनाथ झा : अध्यक्ष महोदय, एक तो उन्होंने तब चैलेंज किया जब पक्ष में बहुमत है घोषणा हो गई, उसके बाद, लेकिन फिर भी सरकार उनके चुनौती को स्वीकार करती है, इस बार खड़े होकर वोट करा लें ।

अध्यक्ष : नियम की बात हो गई, मैंने उनसे (मा० सदस्य श्री राजजतन सिन्हा) से अनुरोध किया था, वे मान गये । मैंने उनसे अनुरोध किया, वे बैठ गये ।

(शोर-गुल)

श्री कुमुद रंजन झा : मुझे अधिकार है निमय को रखने का, कार्य संचालन नियमावली में है...

अध्यक्ष : हमने उनकी बात को रद्द नहीं किया, हमने उनसे अनुरोध किया तो वे मान गये, फिर व्यवस्था का प्रश्न कहां से आता है । मैंने यह नहीं कहा कि नियम ऐसा नहीं है ।

श्री वृषिण पटेल : सभी नियमों से ऊपर अध्यक्ष का नियमन होता है ।

अध्यक्ष : हम आपकी बात को रद्द नहीं कर रहे हैं । माननीय सदस्य श्री रामजतन सिन्हा से हमने रिक्वेट किया और वे बैठ गये ।

श्री कुमुद रंजन झा : संसदीय मंत्री को भी पढ़कर बोलना चाहिये ।

श्री रघुनाथ झा : ऐसी परिपाटी आज तक सदन में नहीं रही है कि लेखानुदान आया हो और उस पर कटौती का प्रस्ताव आया हो, एक भी पूर्वग बतला दें तो सदन को मानने में कोई कठिनाई नहीं होगी

विद्यायी कार्य : राजकीय वित्तीय विधेयक बिहार विनियोग लेखानुदान विधेयक, 1990 :

श्री लालू प्रसाद : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि-

''बिहार विनियोग लेखानुदान विधेयक, 1990 को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि बिहार विनियोग लेखानुदान विधेयक, 1990 को पुरः स्थापित करने की अनुमिति दी जाय''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुरः स्थापित करने की अनुमति दी गयी ।